

1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

"प्रारूप 26"
(नियम 4क देखिए)

32AC



NOTARY
21-4-2014

.....70-घोरी.....निर्वाचन क्षेत्र से
 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
लोक रागा.....(सदन का नाम) के लिए
 निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।
 (भाग - क)

मैं, श. मुख्तार अंसारी ** पुत्र/पुत्री/पत्नीरब0 सुबहानुल्लाह अंसारी..... आयु54..... वर्ष,
 जो मुहल्ला-दर्जामहाल-2, प्रिन्स सिनेमा रोड यूएफएन-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर 0090, पिन
नं0 233227 (डाक का पूरा पता लिखो) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा
 से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं कौमी एकता दल अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल द्वारा... (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ)
- (2) मेरा नाम 378-मुहम्मदाबाद विधान रागा क्षेत्र 0090..... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या.....120..... के क्रम संख्या 606..... पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं0 शून्य है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं होता है। और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट(यदि कोई हो) लागू नहीं होता है।



इस स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ
 जो लागू न हो उसे काट दें)

Mohitai

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रस्थिति :

5

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	वर्ष लिए आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं : मुख्तार अंसारी	AHGPA0319M	2013-2014	₹ 6,98,331-
2.	प्रति या पत्नी : अफशा अंसारी	AGOPA8710K	2012-2013	₹ 12,54,759-
3.	आश्रित - 1 अब्बास अंसारी	AQNPA7082M	2013-2014	₹ 5,00,000-
4.	आश्रित - 2 उमर अंसारी	AUQPA6083P	2013-2014	₹ 3,18,500-

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें राक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।


क्र.	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)
	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	क्या सगी या कोई कार्यवाही किसी राक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं
1	मु0 अ0 सं0 131/2003, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ उ0प्र0	धारा-353, 504, 506 भा.द.वि. जेल में रहने के दौरान विरोधी सरकार की शर्त पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया।	न्यायालय ए.सी. जे.एम.(2) लखनऊ, मामला सं0 1818/12, संज्ञान लेने की तिथि- 17.05.2006.	न्यायालय ए. सी.जे.एम (4) लखनऊ	28.06.2013	लागू नहीं होता
2	मु0 अ0 सं0 589/06, थाना-भांवरकोल, जिला गाजीपुर, उ0प्र0	धारा-147, 148, 149, 307, 302, 404, 120बी भा.द.वि. एच 7 क्रि.लॉ.अमे.एक्ट के अन्तर्गत आरोपित किया गया है।	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर, मामला सं0 893ए/06, संज्ञान लेने की तिथि 20.03.2006	अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम गाजीपुर	08.01.2007	माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने ट्रांसफर पेटिशन सं0 337/06 में दिनांक-22.04.2013 को मुकदमे का विचारण प्रथम एफ.टी.सी गाजीपुर उ0प्र0 के न्यायालय से अब सी.बी.आई स्पेशल कोर्ट नं0 18 तीस हजारी नई दिल्ली न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया है।


Mohit

3	मु० अ० सं० 229/91, थाना- चेतभज, जिला- वाराणसी सं०प्र०	धारा-147, 148, 149, 302 भा.द.वि. हत्या के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है।	न्यायालय सं० जज एच.सी. /एस.टी. एक्ट वाराणसी 285/2007 संज्ञान लेने की तिथि 26.10.1991	न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एच. सी./एस.टी. एक्ट जनपद वाराणसी	10.09.2007	माननीय उच्च न्यायालय लालाहाबाद में दाखिल क्रि०मि० टी०ए० एप्लीकेशन न० 64/2008
4	मु० अ० सं० 192/98, थाना- कोतवाली गाजीपुर, जिला-गाजीपुर सं०प्र०	धारा-3(1) यू.पी. मैगिस्ट्रेट एक्ट, जिला प्रशासन द्वारा जबरदस्ती मैगिस्ट्रेट एक्ट के तहत कार्यवाही का अभियुक्त बनाया गया है।	न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर, मामला सं० 07/12, संज्ञान लेने की तिथि 31.01.2007	विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मैगिस्ट्रेट एक्ट वाराणसी।	24.09.2012	लागू नहीं होता
5	मु० अ० सं० 1051/2007, थाना मुहम्मदाबाद, गाजीपुर सं०प्र०	धारा- 3(1) यू.पी. मैगिस्ट्रेट एक्ट, एक हत्या के मुकदमें को समबद्ध कर जिला प्रशासन द्वारा जबरदस्ती मैगिस्ट्रेट एक्ट के तहत कार्यवाही का अभियुक्त बनाया गया है।	न्यायालय विशेष न्यायाधीश मैगिस्ट्रेट एक्ट वाराणसी, मामला सं० 198/10, संज्ञान लेने की तिथि 22.05.2010	न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज मैगिस्ट्रेट एक्ट जनपद गाजीपुर	24.09.2012	लागू नहीं होता
6	मु० अ० सं० 428/99, थाना- हजारागंज, जनपद लखनऊ	धारा- 2/3 मैगिस्ट्रेट एक्ट हज़ारागंज लखनऊ, हत्या के एक मुकदमें को समबद्ध कर जिला प्रशासन द्वारा जबरदस्ती मैगिस्ट्रेट एक्ट के तहत कार्यवाही का अभियुक्त बनाया गया है। जबकि मूल वाद में न्यायालय द्वारा दोधुयुक्त किया जा रुका है।	न्यायालय स्पेशल जज मैगिस्ट्रेट एक्ट लखनऊ, मामला सं० 139/2000, संज्ञान लेने की तिथि 14.05.2000	न्यायालय स्पेशल जज मैगिस्ट्रेट एक्ट लखनऊ	20.04.2011	लागू नहीं होता
7	मु० अ० सं० 126/99, थाना- कृष्णानगर जनपद लखनऊ।	धारा- 506 भा.द.वि. जिला कारागार लखनऊ में निरुद्धि के दौरान यह मुकदमा कायम किया गया।	न्यायालय ए.सी. जे.एन 8 लखनऊ मामला सं० 1381/2011, संज्ञान लेने की तिथि 12.07.1999	सी.जे.एम. लखनऊ।	08.12.2003	लागू नहीं होता
8	मु० अ० सं० 1182/2009, थाना- मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर	धारा-307,506,120वीं भा०द०वि०, जेल में निरुद्धि के दौरान फर्जी ये मुकदमा कायम कर पड़यंत्र का अभियुक्त बनाया गया।	न्यायालय सी.जे. एम. गाजीपुर, मामला सं० 10ए/10, संज्ञान लेने की तिथि-21.12.2009	न्यायालय स्पेशल जज ई.सी.एक्ट गाजीपुर	16.04.2010	लागू नहीं होता
9	मु० अ० सं० 1866/2009, थाना कोतवाली जनपद मऊ सं०प्र०	धारा-147, 148, 149, 307, 302, 404, 325, 120वीं, 34 भा.द.वि. व 7 सी०एल०ए एक्ट, हत्या के एक मुकदमें में धारा 120वीं (पड़यंत्र) के आरोप में आरोपित किया गया है।	न्यायालय सी.जे. एम मऊ, मामला सं० 240/12, संज्ञान लेने की तिथि 20.03.2010	न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद-मऊ	26.03.2014	लागू नहीं होता



 Kanhaiya Ram
 District Magistrate
 Kanpur
 21-4-2014



10	मु0 अ0 सं0 399/2010, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ उ0प्र0	धारा-302, 307, 120बी/34 भा0द0वि0 ब 7 सी0एल0ए0 एक्ट ब 25/27 आगरा एक्ट, इत्या के एक मुकदमे में धारा 120बी (पड़यंत्र) के आरोप में आरोपित किया गया है।	न्यायालय सी.जे. एम. मऊ, मामला सं0 130/10, संज्ञान लेने की तिथि 25.06 2010	न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनपद- मऊ	26.03.2014	19 लागू नहीं होता
11	मु0 अ0 सं0 891/2010, थाना- दक्षिण टोला, जनपद-मऊ उ0प्र0	3(1) यू0पी0 रैगेस्टर एक्ट, मु0अ0सं0 1866/2009 इत्या के मुकदमे को समबद्ध कर रैगेस्टर की कार्यवाही की गई।	न्यायालय विशेष न्यायाधीश रैगेस्टर एक्ट, मामला सं0 02/12 जिला आजमगढ़, संज्ञान लेने की तिथि 31.10.2011	न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनपद-मऊ	26.03.2014	लागू नहीं होता
12	मु0 अ0 सं0 452/2010, थाना- करण्डा गाज़ीपुर उ0प्र	3(1) यू0पी0 रैगेस्टर एक्ट, इत्या के मुकदमे के समबद्ध कर रैगेस्टर की कार्यवाही की गई, जबकि मूल बाद में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।	न्यायालय स्पेशल जज रैगेस्टर एक्ट जिला बाराभरी, मामला सं0 557/12, संज्ञान लेने की तिथि-2.08.2011	न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय रैगेस्टर एक्ट, जनपद गाज़ीपुर	24.09.2012	लागू नहीं होता
13	मु0 अ0 सं0 66/2009, थाना- स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस नई दिल्ली।	मकोका एक्ट, एसोसिएट के रूप में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपित किया गया।	न्यायालय स्पेशल जज मकोका कोर्ट नं0 222 तीस हजारी नई दिल्ली, मामला सं0 2304/12, संज्ञान लेने की तिथि- 24.04.2010	न्यायालय स्पेशल जज मकोका कोर्ट नं0 222 तीस हजारी नई दिल्ली	03.05.2012	लागू नहीं होता 

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) गेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से गिन] :-

क्र	(क)	(ख)	(ग)
	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यारे
1	न्यायालय ए.सी.जे.एम. प्रथम जनपद-आगरा, संज्ञान लेने की तिथि 17.05.1999	न्यायालय जे.एम. प्रथम, जनपद-आगरा धारा- 419, 420, 109 भा.द.वि.	लागू नहीं होता

M. K. Jaiswal

2	न्यायालय ए.सी.जे.एम.(7) लखनऊ, संज्ञान लेने की तिथि 11.7.2001	न्यायालय ए.सी.जे.एम.(7) लखनऊ, धारा-147, 353, 336, 506, भा.द.वि. जेल में रहने के दौरान विशेषी सरकार की शर्त पर फजी मुकदमा पंजीकृत किया गया।	लागू नहीं होता
3	न्यायालय विशेष न्यायाधीश अष्टाचार निवारण अधिनियम, जनपद-वाराणसी, मामला सं० 16/91, संज्ञान लेने की तिथि- 02.08.2004	न्यायालय ए.सी.जे.एम गाजीपुर, 16/91, धारा- 457, 468, 420, 120वीं भा. द.वि एवं धारा 30 आर्म्स एक्ट।	लागू नहीं होता
4	न्यायालय ए.सी.जे.एम. जनपद-वाराणसी, मामला सं० 1446/6, संज्ञान की तिथि- 14.10.1998	न्यायालय ए.सी.जे.एम. चतुर्थ जनपद-वाराणसी, धारा- 506 जेल में गिरफ्तारी के दौरान यह मुकदमा कायम किया गया।	लागू नहीं होता

3) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1952 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

- (क) उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है - मु०अ०सं० 508/93, केस नं० 49/01, धारा- 24/54/59 आर्म्स एक्ट एवं 5 टाडा अधिनियम।
- (ख) न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) - अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्पेशल टाडा अधिनियम पटियाला हाऊस नई दिल्ली। मामला सं० 49/01, दि० 05.02.2003
- (ग) अधिरोपित दंड - 10 वर्ष कारावास एवं 5,50,000 रु० जुर्माना
- (घ) क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति - क्रि० अपील सं० 325/03, गा० सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री वी.एन अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति श्री सी.के. ठक्कर जी की खण्डपीठ ने सजा एवं जुर्माने के विरुद्ध दाखिल की गई हमारी क्रि० अपील सं० 325/03 को स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दि० 21.04.05 के द्वारा मेरे विरुद्ध टाडा अदालत द्वारा हंगे दोषी ठहराकर सुनाई गई सजा एवं जुर्माने के आदेश को समाप्त करते हुए हमें दोषमुक्त कर दिया।



Signature

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रकम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं मुख्तार अंशारी	पति या पत्नी अंशारी	आश्रित- 1 अब्बास अंशारी	आश्रित- 2 उमर अंशारी	आश्रित- 3 शून्य
(i)	हाथ में नकदी	शून्य	₹ 80,000/-	₹ 50,000/-	₹ 40,000/-	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सचिवालय लखनऊ, खाता सं 10223038542 ₹ 6,88,802/-	1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सचिवालय लखनऊ, खाता सं 10223102494 ₹ 3,05,228 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सचिवालय लखनऊ, खाता सं 62410170755 ₹ 1,10,000 3. यूबीआई चर्च कम्प्यूटर तुलसी रागर गाजीपुर खाता सं 572802010006055 ₹ 5,000/-	1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सचिवालय लखनऊ, खाता सं 32270579919 ₹ 80,210/- 2. आई.सी.आई. बैंक नई दिल्ली, खाता सं 031101513313 ₹ 50,778/-	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मैन ब्रांच गाजीपुर, खाता सं 32270579919, (अव्यक्त होने के कारण उपरोक्त के बैंक का संचालन संरक्षिका के तौर पर गाता द्वारा किया जाता है) ₹ 4,13,000/-	शून्य
(iii)	कंपनियों/गाररपरिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, लिब्रेचर्स/शेयर्स तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एल.आई.सी. पॉलिसी सं 340745331 ₹ 1,90,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	विनी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Signature

(vi)	नोटरयान/वायु यान/यात/ प्रांत (मेक. रजिस्ट्रिकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	1. रकोडा सुपर UP32 CQ 0001, मॉडल-2009 रु० 8,00000 / 2. पजरो स्पोर्टस UP32 EH 0786, मॉडल-2012 रु० 20,00000 / 3. पजरो स्पोर्टस UP32 FK 0786, मॉडल-2014 रु० 22,00000 / 4. मरिंडिय जी एल 350 UP32 FL 0786, मॉडल-2014 रु० 70,00000 /	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जंवरत, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	तीन अगूठी सोना, दो अगूठी सोना डायमण्ड, दो सिखड़ी सोना कुल 7 नर कुल मूल्य- रु० 4,50,000 /	जेवर सोना 700 ग्राम, कुल मूल्य रु० 21,00000 / दो डायमण्ड सेट नव सोना कुल मूल्य- रु० 11,00000 / सोना डायमण्ड, कंगन दो सेट मूल्य- रु० 10,00000 / सोना डायमण्ड रिंग 5 अदद मूल्य- रु० 5,00000 / चादी बलन जेवर आदि मूल्य- रु० 1,20,000 /	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आसियां जैसे कि दावों/दित का मूल्य	शून्य	एन थोर रिवॉल्वर रु० 1,50,000 /	बन्दूक (स्पोर्टस शूटिंग) रु. 2,00000 /	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	रु० 11,38,802	रु० 1,74,70,224/	रु० 3,80,998/	रु० 4,53,000/	शून्य



ख. स्थावर आसियों के ब्यारे

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आसियों का भी प्रिकरण दिया जाना है।

Mohit

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकताया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	रचय मुख्यार अंसारी	पति या पत्नी अफशां अंसारी	आश्रित - 1 अव्यास अंसारी	आश्रित - 2 उमर अंसारी	आश्रित- 3 शून्य
(i)	कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के मौजा आराजी नम्बरान एंड आराजी के क्षेत्रफल में 1/3 संयुक्त खातदार की हैसियत में स्थित (स्थितियों) मौजा शककरपुर, रानीपुर, कशवपुर, गलसा, सफापुर, लफ परशुसामपुर, मकखैरुल्लाह, कोटिया देहाती, नुआब उमरता परगना व तहसील मुहम्मदाबाद।	1 अराजी नं० 598, मौजा बवेडी, परगना 3 जिला गाजीपुर, 4 वीणा 12 विरवा 2 घू. गाँव-25,00000/ 2 अराजी नं० 70, मौजा शेखपुर तलवल 18 गिस्ता 11 घू, गाँव 10,00000/	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	सर्वेक्षण संख्या एंड विस्तार (कुल माप)				
		130 0.1990				
		67 0.0170				
		75 1.2800				
		87 1.1390				
		120 0.0640				
		121 0.4660				
		124 0.1180				
		125 0.0160				
		131 0.0080				
		132 0.0360				
		320 1.8500				
		129 0.2030				
		131 1.0570				
		188 1.0080				
		7 / 189 0.0970				
		181 0.1450				
		186 0.1010				
		184 0.5750				
		183 0.2810				
		91ख 0.0300				
		201 0.0290				
		48 0.0850				
		38 0.0530	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		8 0.1910				
		258 0.3110				
		349ख 0.0200				
		317 0.0130				
		111 0.1770				
		149 0.1360				
		147 / 1 0.0480				
		154 0.2020				
		572 / 2 0.2490				
		156 / 2 0.1580				
		620 / 2 0.2710				
		602 / 2 0.0210				
		601 / 1 0.1480				
		602 / 2 1.0410				
		51 0.3040				
		52 / 1 0.1310				
		69 0.1290				
		37 0.0410				
		38 0.0430				
		39 0.0410				
		40 0.0520				
		41 0.0640				
		42 0.0640				
		48 0.0650				
		49 0.0440				
		86 / 1 0.4990				



Mapkhar

14

	7/1 105 5600/1 107 145 147 148 11228 स१/2 4/2 5/1 4/5 भैरव संपत्ति को संयुक्त खातों का बूट रुकवा- 35 एकड़ जिसका 1/2 भाग से 1/3 भाग 5.833 एकड़ की हिररोदारी का अनुमानित मूल्य ₹ 1,50,00,000/मात्र	0.1180 0.0850 0.0521 0.1290 0.0254 0.1590 0.0000 0.0420 0.3080 0.0090 0.0330 0.0320	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वया विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	1. 28.08.2008 2. 03.11.2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	1. ₹ 25,00,000/ 2. ₹ 10,00,000/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास,संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) शेर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	1. मौजा रजवेपुर देहली परगना व तहसील जनपद गाजीपुर में स्थित अराजी नं. 113 2. नगर पालिका परिषद गाजीपुर स्थित मुहल्ला डेहली चल्ला दास में स्थित अराजी नं. 17/1 से 17/6 3. नगर पालिका परिषद गाजीपुर स्थित मुहल्ला मुहल्ला डेहली चल्ला दास में स्थित अराजी नं. 32 4. मुहल्ला डेहली चल्ला दास शहर गाजीपुर के नगर पालिका में स्थित अराजी नं. 31 व 31/1 से 31/8 5. मौजा रजवेपुर शहरी गाजीपुर में स्थित अराजी नं. 88, 6. मुहल्ला गौरा बाजार गाजीपुर में स्थित अराजी नं. 524 7. ग्राम फरीदल्लापुर परगना व तहसील गाजीपुर में स्थित अराजी नं. 1185 8. ग्राम कुन्दनपुर परगना व तहसील गाजीपुर अराजी नं. 185	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Mophtai

	शून्य	5. नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद परभनी व तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में स्थित अरावी नं 31 10. मुहल्ला सेदुडी मुहल्ला दास शहर गाजीपुर नगरपालिका सीमा अन्तर्गत अरावी नं 31 व 31/1 से 31/9 तक 11. मुहल्ला सेदुडी मुहल्ला दास शहर गाजीपुर नगरपालिका सीमा अन्तर्गत अरावी नं 31 व 31/1 से 31/9 तक	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	1. 10,200 वर्ग फीट 2. 1,480 वर्ग फीट 3. 11,580 वर्ग फीट 4. 940 वर्ग फीट 5. 1,700 वर्ग फीट 6. 2,000 वर्ग फीट 7. 3,200 वर्ग फीट 8. 1,580 वर्ग फीट 9. 880 वर्ग फीट 10. 300 वर्ग फीट 11. 700 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य
क्या बिरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	1. 07.03.2001 2. 07.08.2001 3. 13.08.2004 4. 20.03.2010 5. 18.02.2009 6. 25.08.2008 7. 22.05.2008 8. 18.02.2009 9. 18.02.2009 10. 20.03.2010 11. 31.03.2010	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	1. ₹ 1,20,000/ 2. ₹ 2,50,000/ 3. ₹ 1,00,000/ 4. ₹ 1,50,000/ 5. ₹ 1,00,000/ 6. ₹ 3,00,000/ 7. ₹ 50,000/ 8. ₹ 2,50,000/ 9. ₹ 2,50,000/ 10. ₹ 50,000/ 11. ₹ 1,00,000/	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Maphan

11

<p>सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)</p>	<p>अ: भवन सं० 77, वार्ड नं० 12 ब: भवन सं० 85, वार्ड नं० 7</p>	<p>1. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 2. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 3. अराजी नं० 98/2 संयुक्त खातेदार का 1/3 हिस्सा 4. अराजी नं० 98/2 का शेष भाग 5. अराजी नं० 21 6. अराजी नं० 311 में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी 7. अराजी नं० 1335, 1337, 1340, 1341, 1342, भूखण्ड में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी।</p>	<p>1. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 2. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 3. अराजी नं० 98/2 संयुक्त खातेदार का 1/3 हिस्सा 4. अराजी नं० 604</p>	<p>1. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 2. अराजी नं० 100, नगरपालिका नं० 5/ए व 5/ए 1, का 1/3 हिस्सेदार 3. अराजी नं० 98/2 संयुक्त खातेदार का 1/3 हिस्सा</p>	<p>शून्य</p>
<p>क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)</p>	<p>अ: 8400 वर्ग फुट ब: 400 वर्ग फुट</p>	<p>1. 3000 वर्ग फीट 2. 2540 वर्ग फीट 3. 4080 वर्ग फीट 4. 1620 वर्ग फीट 5. 2078 वर्ग फीट 6. 11.88 एकड़ में 60 प्रतिशत हिस्सा 7. 13 एकड़ 7. 16.08 एकड़ में 60 प्रतिशत हिस्सा 10.08 एकड़</p>	<p>1. 3,000 वर्ग फीट 2. 2540 वर्ग फीट 3. 4080 वर्ग फीट 4. 1530 वर्ग फीट</p>	<p>1. 3,000 वर्गफीट 2. 2540 वर्ग फीट 3. 4080 वर्ग फीट</p>	<p>शून्य</p>
<p>निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)</p>	<p>अ: 8400 वर्ग फुट ब: 400 वर्ग फुट</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)</p>	<p>हां</p>	<p>नहीं</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. दि० 29.08.2000 2. दि० 29.08.2000 3. दि० 02.05.2005 4. दि० 30.09.2005 5. दि० 25.08.2007 6. दि० 29.09.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 08.10.2012, 10.10.2012 7. दि० 07.12.2013, 03.01.2014, 04.01.2014, 05.01.2014</p>	<p>1. दि० 29.08.2000 2. दि० 29.08.2000 3. दि० 02.05.2005 4. दि० 25.04.2012</p>	<p>1. दि० 29.08.2000 2. दि० 29.08.2000 3. दि० 02.05.2005</p>	<p>शून्य</p>



M. P. K. T. A.

<p>क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. ₹0 3,00,000 / 2. ₹0 3,00,000 / 3. ₹0 7,00,000 / 4. ₹0 3,00,000 / 5. ₹0 10,00,000 /</p> <p>6. क्रय के समय की कुल कीमत 98,68,750 ₹ का 60 प्रतिशत हिस्सा ₹. 58,01,250 /</p> <p>7. क्रय के समय की कुल कीमत 1,37,43,000 ₹ का 60 प्रतिशत हिस्सा ₹0 82,45,800 /</p>	<p>1. ₹0 3,00,000 / 2. ₹0 3,00,000 / 3. ₹. 7,00,000 / 4. ₹. 25,00,000 /</p>	<p>1. ₹0 3,00,000 / 2. ₹0 3,00,000 / 3. ₹. 7,00,000 /</p>	<p>शून्य</p>
<p>विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिश्चयन</p>	<p>शून्य</p>	<p>6. गैसरा विकास कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीमती अफशा अरसारी की 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जिसके द्वारा सरकार की स्वीकृति के बाद ग्रेन गोडाल्डन (पी.सी.एफ.) के निर्माण हेतु ग्राम फतेहचल्लापुर परभना ज. तहसील जिला गाजीपुर में भूमि क्रय की गई।</p> <p>7. गैसरा विकास कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीमती अफशा अरसारी की 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जिसके द्वारा सरकार की स्वीकृति के बाद ग्रेन गोडाल्डन (पी.सी.एफ.) के निर्माण हेतु गाँव रघौली, तहसील-चरई जंगमद-जालीन में स्थित अराजी नं० 1338, 1337, 1340, 1341, 1342, मूवपड क्रय किया गया है।</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>अनुमानित चालू बाजार मूल्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. ₹0 1,50,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 50,00,000 /</p> <p>2. ₹. 75,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 25,00,000 /</p> <p>3. ₹0 60,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 20,00,000 /</p> <p>4. ₹0 24,00,000 /</p> <p>5. ₹0 80,00,000 /</p> <p>6. ₹0 5,59,36,000 / का 60 प्रतिशत हिस्सा ₹0 3,35,61,600 /</p> <p>7. ₹0 1,86,63,750 / का 60 प्रतिशत अंश ₹0 1,17,98,250 /</p>	<p>1. ₹0 1,50,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 50,00,000 /</p> <p>2. ₹. 75,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 25,00,000 /</p> <p>3. ₹0 60,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 20,00,000 /</p> <p>4. ₹. 75,00,000 /</p>	<p>1. ₹. 1,50,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 50,00,000 /</p> <p>2. ₹. 75,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 25,00,000 /</p> <p>3. ₹0 60,00,000 / का 1/3 हिस्सा ₹0 20,00,000 /</p>	<p>शून्य</p>



योग :- 73,00,000.00

Atakhta

(iv)	ज्वारीय भवन (अपार्टमेंट शक्ति) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	भवन आवासीय पर्यटन मकान दर्जीमहाल वार्ड नं० 9 मकान नं० 11/44 गौहरा	फ्लैट टॉवर नं० 20-10-1 मेट्रो टॉवर पेपर मिल कम्पाउण्ड महानगर लखनऊ। संयुक्त खातेदार	फ्लैट टॉवर नं० 20-10-1 मेट्रो टॉवर पेपर मिल कम्पाउण्ड महानगर लखनऊ। संयुक्त खातेदार	फ्लैट टॉवर नं० 20-10-1 मेट्रो टॉवर पेपर मिल कम्पाउण्ड महानगर लखनऊ। संयुक्त खातेदार	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2,000 वर्ग फुट	1880 वर्ग फीट	1880 वर्ग फीट	1880 वर्ग फीट	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2,000 वर्ग फुट	1880 वर्ग फीट	1880 वर्ग फीट	1880 वर्ग फीट	शून्य
	क्या विशालत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	फ्लैट ₹51,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹17,00,000/	फ्लैट ₹51,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹17,00,000/	फ्लैट ₹51,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹0 17,00,000/	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य		₹0 - 1,50,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹50,00,000/	₹0 1,50,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹50,00,000/	₹0 1,50,00,000/ का 1/3 हिस्सा ₹50,00,000/	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बालू बाजार मूल्य	कुल योग :- ₹0 2,43,00,000/	कुल योग :- ₹0 10,59,59,850/	कुल योग :- ₹0 2,20,00,000/	कुल योग :- ₹ 1,45,00,000/	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं मुख्तार अंसाारी	पति या पत्नी अफशां अंसाारी	आश्रित - 1 अब्बास अंसाारी	आश्रित - 2 उमर अंसाारी	आश्रित - 3 शून्य
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Mophta

<p>बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. ऋण वाहन UP32 EH 0786 पञ्जाब स्पोर्ट्स, स्टेट बैंक शाखा राधिकाल लखनऊ, रु० 12,00000 /</p> <p>2. ऋण वाहन UP32 FK 0786 पञ्जाब स्पोर्ट्स, यू.बी.आई. गाजीपुर रु० 21,00000 /</p> <p>3. ऋण वाहन UP32 FL 0786 गरिडिज जी.एल 350. स्टेट बैंक शाखा जवाहर भवन लखनऊ, रु० 69,00000 /</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. गैरसह विकास कंसल्टिंग गाजीपुर द्वारा शेन गौडाऊन (पी.सी.एफ.) के निर्माण हेतु बैंक ऋण का विवरण- (पीसे अंकित कुल योग ऋण में स्वयं की देनदारी 60 प्रतिशत रहेगी) यू.बी.आई. डिप्री कॉलेज गाजीपुर, खाता सं० 39270639000000 कुल ऋण रु० 8,61,64,161 / देनदारी 60% रु० 5,16,98,496 /</p> <p>2. यू.बी.आई. डिप्री कॉलेज गाजीपुर, एच.ओ.डी. खाता सं० 441504050000003 कुल ऋण रु० 2,52,50,170 / देनदारी 60% रु० 1,51,50,102 /</p> <p>3. यू.बी.आई. मुहम्मदाबाद गाजीपुर, एच.ओ.डी. खाता सं० 304604010932097 कुल ऋण रु० 22,09,338 / देनदारी 60% रु० 31,25,602 /</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>कोई अन्य दायित्व</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>दायित्वों का कुल योग</p>	<p>शून्य</p>	<p>रु० 8,01,74,200 / करोड़</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>(ii) सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का नाम</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>
<p>विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का नाम</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>



Mophter

टेलीफोन/ मोबाइल (गपूति) से बरतने वाले विभाग का शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध	शून्य	2013-2014	शून्य	शून्य	शून्य
घनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं कृषि.....
- (ख) पति या पत्नी कृषि/व्यवसाय

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर रामबद्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से वर्ष 1984 में बी0ए0 उत्तीर्ण किया

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए ब्यौरो का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 श्री मुख्तार अंसारी
2.	डाक का पूरा पता	मुहल्ला-दजीमहाल-2, प्रिन्स सिनेमा रोड यूसुफपुर मुहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर पिन: 233227, उ0प्र0
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	70-घोसी, उ0प्र0
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कौमी एकता दल (रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल)
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्षों के अंदर अधिक के कारावासों से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	13



M. Akhtar